

CCL

A minoratna cat-I company

CENTRAL COALFIELDS LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited)

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

AMRAPALI - CHANDRAGUPT AREA

Akashdeep, Main Road, Dakra

Dist :- Ranchi, Jharkhand. 829201

Ref. No. **GM(A-c)/PO-CHANDRAGUPT/2022-23/12** दिनांक **09/07/22**

सेवा में

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

विषय :-

चतरा जिला अन्तर्गत चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना निर्माण हेतु 699.38 हे० (चतरा दक्षिणी- 400.96 हे०, हजारीबाग पश्चिमी- 298.42 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर की गई त्रुटियों का निराकरण किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 2918 दिनांक 18.12.2021

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत कोल माईनिंग परियोजना में अपयोजित होनेवाले वन भूमि प्रस्ताव पर की गई त्रुटियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है-

ऑनलाईन त्रुटियों का निराकरण

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	पार्ट-1 की कंडिका 1 (iii) में Short narrative of the proposal and project के संबंध में संक्षिप्त विवरणी अंकित है परन्तु Scheme for which the forest land is required के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वनभूमि लेने का क्या औचित्य है के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	पार्ट-1 की कंडिका 1(iii) में Scheme for which the forest land is required के संबंध में उल्लेख कर दिया गया है।
2	पार्ट-1 की कंडिका B 1 में List of proposal submitted in past में Nil अंकित है, जो सही नहीं है, क्योंकि सी०सी०एल० द्वारा समर्पित कतिपय वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्टेज-I एवं स्टेज-II की स्वीकृति दी गयी है। इन सबों की विवरणी उल्लेखित कॉलमों में अंकित करना अनिवार्य है।	उक्त आपत्ति के निराकरण में कहना है कि a) चन्द्रगुप्त ओ.सी.पी. कोल माईनिंग परियोजना एक नई परियोजना है इसके पूर्व इस परियोजना से संबंधित कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार को समर्पित नहीं किया गया है। b) सी०सी० एल० द्वारा समर्पित कतिपय वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्टेज-I एवं स्टेज-II की दी गयी स्वीकृति को ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।

MANOJ KUMAR
CHIEF MANAGER (MINING)
CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

3	पार्ट-1 की कंडिका B 2.1 में Details of division involved forest land में इस प्रमंडल के लिए मात्र 21.70 हे० रकबा का उल्लेख है जबकि इस प्रमंडल अंतर्गत मौजा-उडसु 21.70 हे०, बुकरू 217.46 हे०, नावाखाप 2.05 हे०, पचंडा- 92.34 हैं एवं सिजुआ 67.41 हे० उक्त सभी मौजा इस प्रमंडल अंतर्गत है। इस प्रकार इस प्रमंडल के लिए अपयोजित वनभूमि का रकबा 40.96 हे० होगा। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है।	पार्ट-1 की कंडिका B.2.1 में Details of division involved forest land में संशोधन किया जा चुका है जिसमें चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 400.96 हे० एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत 298.42 हे० वन भूमि अपयोजित होने का उल्लेख कर दिया गया है।
4	पार्ट-1 की कंडिका C (i) (a) में भी मात्र 21.70 हे० वनभूमि का KML File अपलोड किया गया है जिसमें भी संशोधन कर इस प्रमंडल अंतर्गत सही अपयोजित होने वाला रकबा के अनुसार KML File तैयार कर अपलोड करना अनिवार्य है।	पार्ट-1 की कंडिका C-1 में चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होनेवाले वन भूमि को पैचवार KML File तैयार कर रकबा के साथ ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	पार्ट-1 की कंडिका C (iii) में अपलोड टोपो मैप में भी सुधार कर संशोधित टोपो मैप अपलोड करना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या 5 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि को टोपोमैप पर दर्शाते हुए लिजेण्ड सहित पार्ट-1 की कंडिका C-iii में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
6	पार्ट-1 की कंडिका C (iv) में अपलोड अपयोजित होने वाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file में भी संशोधन कर अपलोड करना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या 6 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Geo-reference Map in Shape File संशोधन कर पार्ट-1 की कंडिका C-iv में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
7	पार्ट-1 की कंडिका D (i) में अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में Justification Letter अपलोड किया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है जिसका अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत कितना रकबा अपयोजित होंगे तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत कितना रकबा अपयोजित होंगे। अतः इसे स्पष्ट किया जाय।	बिन्दु संख्या 7 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Justification Letter संशोधन कर पार्ट-1 की कंडिका D-1 में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
8	पार्ट-1 की कंडिका F (ii) में R & R Plan अपलोड किया गया है परन्तु हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	बिन्दु संख्या 8 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का R.R. Plan पार्ट-1 की कंडिका F-ii में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
9	पार्ट-1 की कंडिका F (ii)(a) में Copy of Approval to Ministry of Tribal Affairs Govt. of India to Rehabilitation and Resettlement की प्रति अपलोड है परन्तु हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	बिन्दु संख्या 9 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Approval to Ministry of Tribal Affairs Govt. of India to Rehabilitation and Resettlement की प्रति पार्ट-1 की कंडिका

MANOJ KUMAR
CHIEF MANAGER (MINING)
CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

		F-(ii) a में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
10	पार्ट-1 की कंडिका H (i) में EC की आवश्यकता है में "हाँ" का उल्लेख किया गया है परन्तु इसकी पूरी विवरणी एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत EC की प्रति अपलोड नहीं है एवं हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न नहीं है।	बिन्दु संख्या 10 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पार्ट-1 की कंडिका H-i में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
11	पार्ट-1 की कंडिका K(i) में वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र की आवश्यकता में No अंकित है जिसमें Yes अंकित कर विषयगत परियोजना से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम हुई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या 11 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र अलग से समर्पित करने हेतु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पार्ट-1 की कंडिका K-i में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
12	पार्ट-1 की कंडिका M.1.(a) में Total Area of the mining lease (in ha): 1495 ha. Area अंकित है परन्तु इसकी प्रति हार्ड कॉपी संलग्न नहीं है।	बिन्दु संख्या 12 के अनुपालन में 1495.00 हे० अपयोजित होनेवाले वन भूमि का चार्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
13	पार्ट-1 की कंडिका M.2.(iii) & (iv) में Approval of mining plan and approved of mining plan अपलोड किया गया है परन्तु हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	बिन्दु संख्या 13 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Approved and Approval Mining Plan पार्ट-1 की कंडिका M-1(a) में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
14	पार्ट-1 की कंडिका M.2.(vi) में 1:40000 स्केल में Land use plan अपलोड किया गया है परन्तु हार्ड कॉपी में संलग्न नहीं है।	बिन्दु संख्या 14 के अनुपालन में अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Land Use Plan पार्ट-1 की कंडिका M-2(iv) में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न कर दिया गया है।
15	पार्ट-1 की कंडिका M.6.(i) में Details of approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 के कॉलमों में Nil अंकित है। उसमें Yes अंकित करते हुये सी०सी०एल० को अबतक भारत सरकार से माईनिंग के लिए प्राप्त लिज अवधि की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या 15 के निराकरण में Details of approval under the Forest (Conservation) Act 1980 पार्ट-1 की कंडिका M-6(i) के कॉलम में डाटा अंकित कर दिया गया है।
16	विषयगत परियोजना के विरुद्ध NPV, CA, PCA, Safety Zone and Others मद के लिए मांगी गई राशि को जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के	बिन्दु संख्या 16 के अनुपालन में पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।


MANOJ KUMAR
 CHIEF MANAGER (MINING)
 CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
 AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

	Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।	
17	विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों की सत्यापित गणना सूची पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या 17 के अनुपालन में प्रभावित वृक्षों की सत्यापित गणना सूची पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर सहित पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
18	विषयगत परियोजना से संबंधित सत्यापित भूमि विवरणी पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या 18 के अनुपालन में सत्यापित भूमि विवरणी पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर सहित पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
19	Manual Form A Part-1 पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या 19 के अनुपालन में Manual Form A Part-1 की प्रति पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर सहित पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

ऑफलाईन त्रुटियों का निराकरण

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
2	विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों की सत्यापित गणना सूची संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।	विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों की सत्यापित गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3	विषयगत परियोजना में प्रभावित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं संलग्न किया जाय।	विषयगत परियोजना में प्रभावित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
4	विषयगत परियोजना में प्रभावित भूमियों का भूमि विवरणी सारांश के साथ संलग्न नहीं है। साथ ही Authenticated Land Schedule भी संलग्न नहीं है।	हार्ड कॉपी प्रस्ताव में भूमि विवरणी सारांश के साथ तथा Authenticated Land Schedule की प्रति संलग्न कर दिया गया है।
5	अपयोजित होने वाली वनभूमि में पुराने किला, मंदिर एवं बंगला नहीं है, के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	अपयोजित होनेवाले वन भूमि में कोई भी पुराने किले, बंगला इत्यादि नहीं हैं से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की प्रति हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
6	अपयोजित होने वाली वनभूमि के संबंध में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु मौंगी गई राशि जमा	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना हेतु मौंगी गई राशि जमा करने से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

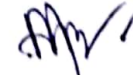
MANOJ KUMAR
CHIEF MANAGER (MINING)
CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT
AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL

	करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
7	प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाला वनभूमि का Geo-reference map in shape file भारत सरकार से प्राप्त मान्यता के अनुरूप संलग्न नहीं है एवं इस क्रम में तैयार किये गये file की प्रति भी संलग्न नहीं है।	अपयोजित होनेवाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file एवं इस क्रम में तैयार की गई फाइल की प्रति हार्ड कॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव के साथ Reclamation plan संलग्न नहीं है।	विषयगत परियोजना से संबंधित Reclamation Plan की प्रति हार्ड कॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
9	विषयगत परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमियों को कैडस्ट्रल मैप पर अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुये संलग्न नहीं है।	अपयोजित होनेवाले वनभूमि को Cadastral Map पर अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए नक्शा की प्रति हार्ड कॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
10	विषयगत परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि को 1:50000 स्केल पर दर्शाते हुये संलग्न नहीं है।	अपयोजित होनेवाले वनभूमि को 1:50000 के स्केल पर दर्शाते हुए नक्शा की प्रति हार्ड कॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।

उल्लेखित त्रुटियों का निराकरण करते हुए ऑनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही संशोधित हार्ड कॉपी प्रस्ताव की नौ प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित करते हुए अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अद्यतन कार्यवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,



मुख्य प्रबंधक,

चन्द्रगुप्त ओ०सी०पी०,

आम्रपाली चन्द्रगुप्त ओ०सी०पी०.एल.

MANOJ KUMAR

CHIEF MANAGER (MINING)

CHANDRAGUPT OPEN CAST PROJECT

AMRAPALI-CHANDRAGUPT AREA, CCL